Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAY-JUNE, 2022, VOL- 10/71

त्वरित तीन तलाक : मिथक बनाम तथ्य

नशरा फात्मा[1] & कुमार राजीव रंजन[2], Ph. D.

[1]शोध – छात्रा, श्री चित्रगुप्त पी.जी. कॉलेज, मैनपुरी

[2]एसोसिएट प्रोफेसर – समाज शास्त्र, समाज शास्त्र– विभाग, श्री चित्रगुप्त पी.जी. कॉलेज, मैनपुरी

(सम्बद्धः डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

Paper Received On: 22 JUNE 2022
Peer Reviewed On: 27 JUNE 2022
Published On: 28 JUNE 2022

Abstract

यह शोध पत्र हाल ही में चर्चित विषय ''तीन तलाक या तलाक–उल–बिदत्त'' पर लिखित है । यह शोध लेख शरीयत एवं कानून के आधार पर परिभाषित तलाक–उल–बिदत्त का मूल अर्थ एवं उसकी वास्तविक प्रक्रिया का परिचय देगा । शरीयत में तलाक एवं विवाह के स्वरूपों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ वर्णन किया गया है तथा समाज में तलाक के प्रति जो भ्रांतियॉ जन्म ली है, तलाक का मुख्य कारण एवं समाज में त्वरित तीन तलाक के प्रति सही नियम को उजागर करने का प्रयास किया गया है ।

मूल शब्द–*तीन तलाक, शरीयत एक्ट (मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण), इस्लाम में तलाक।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

तलाक (विवाह विच्छेद) को इस्लामी कानून में सबसे अवमानी घृणापूर्ण कार्य घोषित किया गया है । इस्लाम तलाक को एक प्रकार से दुष्कर्म मानता है परन्तु कभी–कभी विवाहित जोड़ों के मध्य ऐसी परिस्थितियाँ प्रकट होती है कि उनके मध्य वैवाहिक सम्बन्ध अनिष्ट एवं अप्रिय हो जाते हैं तथा इन तनावपूर्ण परिस्थतियों में एवं अप्रसन्नता के साथ एक सम्बन्ध में रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है ।

तलाक (विवाह विच्छेद) को इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में ''विवाहित सम्बन्धों का भ्रष्ट हो जाना'' बताया गया है। यह उस जीवन का अन्तिम क्षण है, जो विवाहित दम्पत्ति व्यतीत कर रहे थे ।

तलाक (विवाह विच्छेद) के बारे में समाज में लोगों की गलत धारणाएँ है । हर धर्म के लोग चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम। तलाक को किसी भी धर्म में उचित नहीं समझा जाता है परन्तु विवाहित जोड़े अपनी सहमति से अलगाव चाहते हैं, तो तलाक जैसी प्रथा को स्वीकार लेना अनुपयुक्त नहीं है ।

इस्लाम धर्म के बारे में लोगों का विचार है कि इस्लाम स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं देता। स्त्री हमेशा डरी हुई होती है कि पुरूष कब उसे निःसहायक छोड़ देगा जबकि ऐसा नहीं है । इस्लाम में

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

विवाह दो लोगों के बीच एक समझौता है और जब यह समझौता असफल होने लगे तो वह तलाक का उपाय कानूनी एवं शरीयत प्रणाली से ले सकते हैं ।

इस्लाम में तलाक (विवाह विच्छेद)

इस्लाम में तलाक देने (विवाह विच्छेद) की एक प्रणाली बताई गई है जिसके आधार पर पति एक समय में एक ही तलाक दे सकता है । इस्लाम में सूचित किया गया है कि तलाक एक–एक करके दी जानी चाहिए । जिसके मध्य कुछ समय का अन्तर होगा और इस कार्यप्रणाली को ग्रहण करके ही इस्लाम के अनुसार तलाक हो सकता है ।

कुरान शरीफ में तलाक का तरीका बताया गया है कि एक निर्णय करने वाला शौहर के वंश से तथा एक बीवी के वंश से प्रस्तुत करें, वो दोनों मिलकर उनमें अनुबन्ध कराने का प्रयास करेंगे ।

कुरान में प्रस्तुत किया गया है कि यदि तुम्हें पति–पत्नी में लड़ाई की आशंका हो तो एक जज शौहर की तरफ से एवं एक बीवी की तरफ से प्रस्तुत करें यदि दम्पत्ति आपसी समझौता चाहेंगे तो अल्लाह उनके मध्य पुनर्मिलन (सहमति) करा देगा, निःसन्देह अल्लाह सब कुछ जानता है और सब की जानकारी रखने वाला है **(सूरेह–निसा–35)।**

सूरेह तलाक में कहा गया है कि जब तक बीवी की इद्दत का समय खत्म न हो तब तक बीवी को शौहर के घर से न निकाला जाये और न ही वह स्वयं निकले कुरान में यह प्रक्रिया इसलिए बताई गई है जिससे यह अपेक्षा की जाती है दोनों पक्षों से की वह आपस में शायद समझौता कर लें और तलाक जैसी कुप्रथा का निर्णय लेने से इन्कार कर दें ।

अगरच् सही मायने में हम इस प्रक्रिया पर ध्यान सूचित करें तो ज्ञात होगा कि यह एक तरह की उत्तम युक्ति (यानि तरकीब) है जिससे तलाक होने पर रोक लग सकती है । परन्तु आज समय में धर्म की आड़ में लोग गलत–गलत धार्मिक भाषण देते हैं और साथ ही साथ लोगों को गुमराह करते हैं।

कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब तुम मर्द अपनी बीवियों को तलाक दो और बीवी जब इद्दत के आखिरी समय पर हो तो तुम या तो उसे रोक लो या फिर एक सही तरीके से विदा कर दो यदि किसी भी कारणवश तुमने उसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने के विचार से रोका है यदि तुममें से कोई ऐसा करता है तो वह खुद पर ही अत्याचार करेगा। अगर शौहर ने बीवी को रोकने का निर्णय लिया है तो यह निर्णय बीवी को कष्ट देने का तथा ना ही किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती का होना चाहिए। जबकि यह फैसला केवल भलाई के लिए होना चाहिए ।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(सुरेह बकराह–231)

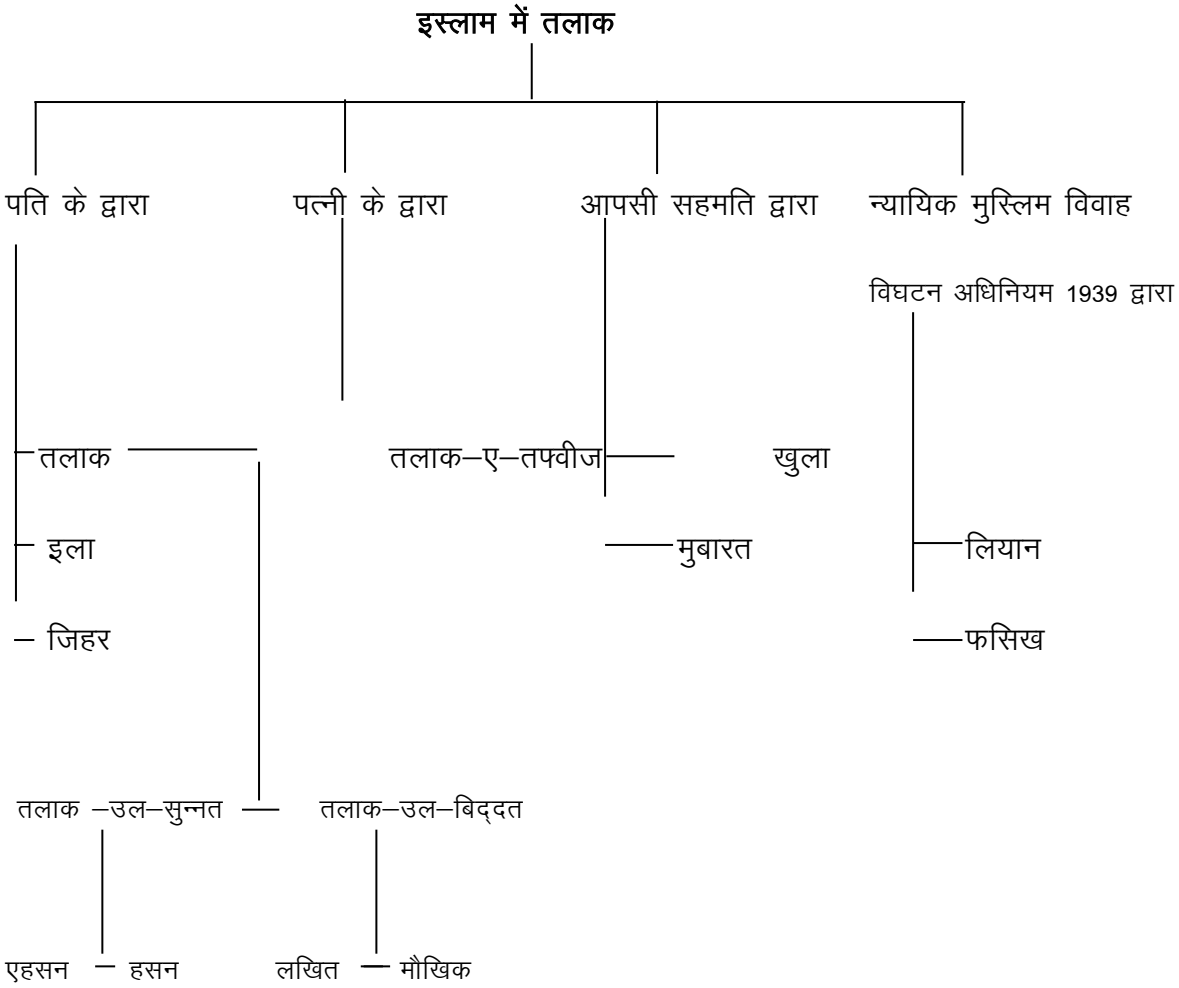

तलाक–ए–एहसन–इस तरह के तलाक में पति अपनी पत्नी को मौखिक रूप में एक तलाक देता है जिसकी समय सीमा 90 दिनों की होती है इस समय पति पत्नी के साथ किसी भी तरह का शारीरिक सम्बन्ध नहीं रख सकता यदि दोनों में सम्बन्ध बन गए तो तलाक स्वयं ही अमान्य हो जायेगा। मुस्लिम समाज में तलाक–ए–एहसन को मान्य और सबसे उचित तरीका समझा जाता है ।

तलाक–ए–हसन–इसमें तलाक–ए–एहसन में बोले गये एक तलाक के बाद एक महीने की इद्दत की अवधि समाप्त होने पर पति अपनी पत्नी को दूसरी बार तलाक देता है और साथ ही साथ आपसी सम्बन्ध भी नहीं बना सकता। तलाक–ए–एहसन तथा तलाक–ए–हसन दोनों ही मुस्लिम समाज में उचित एवं मान्य है। मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि तलाक–ए–हसन की मान्यता तलाक–ए–एहसन से कम है परन्तु यह उचित है ।

तलाक–उल–बिदत्त–तलाक–उल–बिदत्त जिसे ट्रिपल तलाक कहा जाता है, हाल ही में इसे अमान्य घोषित किया गया है । तलाक–ए–अहसन के बाद दूसरा तलाक तलाक–ए–हसन में दिया जाता है एक–एक करके और इस दौरान पति–पत्नी में समझौता नहीं होता तो तीसरा तलाक तीसरे

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

महीने में दिया जाता है, जिसे तलाक–उल–बिदत्त कहते हैं । इस तीसरे तलाक के बाद पति–पत्नी का शरीयत के हिसाब से तलाक हो जाता है । भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया है । अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैर–कानूनी कर दिया।

मुस्लिम महिलाओं के तीन–तलाक से सम्बन्धित मुद्दों पर रामनाथ कोविंद ने (मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण) कानून बनाया । यह कानून 1 अगस्त 2019 को तीन तलाक कानून लागू हुआ । हाल ही में केन्द्र सरकार ने दिल्ली में 1 अगस्त 2021 को 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया । सुप्रीम कोर्ट ने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 के आधार पर तीन तलाक से सम्बन्धित आरोपी को अग्रिम जमानत पर रोक नहीं है परन्तु इस दरखास्त को नियुक्ति करने से पहले शिकायतकर्ता दुखद महिला के बयान पर भी रोशनी डालनी होगी । अब पति अपनी पत्नी को कभी भी तीन तलाक कहता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है । मुस्लिमों में इस कानून के बनते ही तीन तलाक की प्रथा को क्रोध अपराध के रूप में शामिल कर लिया गया है ।

इला–इला तलाक की वह प्रक्रिया है जिसमें पति अपनी पत्नी को कसम खाकर खुदा को हाजिर करके तलाक देता है अतः वह पत्नी के साथ चार महीने तक कोई सम्बन्ध नहीं बना सकता जिसके बाद विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है ।

जिहर–इस प्रकार के तलाक में पति अपनी पत्नी को सम्बोधित करता है जो उसके लिए निषेध होती है जैसे वह अपनी पत्नी की तुलना अपनी मॉ, बहन से करता है जिससे उसका विवाह निषेध हो जाता है।

खुला–यह एक औरत के लिए तलाक का सबसे अच्छा विकल्प होता है इस्लाम एक पत्नी को खुला लेने का अवसर प्रदान करता है इसमें पत्नी अपनी स्वयं की इच्छा से अपने पति से तलाक यानि खुला लेती है ।

लियान–इस प्रकार के तलाक में पति अपनी पत्नी पर व्याभिचार जैसा आरोप लगाता है ।

पारस्परिक सहमति से तलाक–शरीयत में तलाक के लिए एक अन्य प्रस्ताव है ''मुबारत'' जिसमें पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेते हैं इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता इसमें पति को अपनी पत्नी को मेहर अदा करता है तत्पश्चात पत्नी को इद्दत की अवधि पूर्ण करनी होती है ।

तलाक–ए–तफ्वीज–इसमें पत्नी को विवाह के समय कुछ अधिकार दिये जाते हैं जिनके आधार पर तलाक की मॉग की जा सकती है । तलाक–ए–तफ्वीज एक शरई व्यवस्था है इस व्यवस्था में निकाह के समय ही पत्नी को तलाक लेने का हक प्राप्त होता है यह निकाहनामे में लिखित होता है और साथ ही साथ मौलवी को इसका ज्ञान होता है अगरच भविष्य में पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है तो वह इस अधिकार का पूरी तरह से उपयोग कर तलाक की मॉग कर सकती है ।

शरीयत में तलाक–विवाह जिसे मुस्लिम भाषा में निकाह कहा जाता है वह एक स्त्री एवं पुरूष का स्वयं की इच्छा से एक दूसरे को स्वीकारने की कार्य प्रणाली है इसकी तीन अवस्था हैं–

1. पुरूष अपने वैवाहिक जीवन के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की सौगन्ध ले।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

2. एक निश्चित सम्पत्ति या आय दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तय हो जिसे मेहर कहते हैं ।
3. समाज में इस नवीन सम्बन्ध को घोषित करें ।

पवित्र कुरान में स्पष्ट है कि जहॉ तक सम्भावित हो तलाक न हो। अगरच तलाक देना आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाय तो इस प्रक्रिया को न्यायिक रूप से पूर्ण करें।

शरीयत के आधार पर तलाक के लिए निम्न बातों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए–

– उत्तेजित होकर या अकस्मात तलाक देना अल्लाह और उसके रसूल को अत्यन्त अप्रिय है साथ ही साथ यह प्रक्रिया इस्लामिक शरीयत की शिक्षा के विरूद्ध है ।
– पत्नी को अनिर्णायक रखना अर्थात न तलाक देना और न ही स्वयं के साथ रखना भी पाप है ।

आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभाध्यक्ष मौलाना सैय्यद राब–ए–हसन नदवी ने स्पष्ट किया है कि समाज में तलाक के कानून से सम्बन्धित लोगों में बड़े स्तर पर भ्रान्तियाँ उत्पन्न हुई हैं परन्तु शरीयत में तलाक की प्रक्रिया –

– यदि पति पत्नी में मिथ्याभास हो तो पहले वे स्वयं उन अंसगतियों को खत्म करने का प्रयास करें क्योंकि हर एक साथी में गुण एवं सद्गुण होते हैं । तीन तलाक के मुद्दे से सम्बन्धित सहयोगी व्यक्ति–

1. **शाहबानो केस (1985)**–शाहबानो इन्दौर की रहने वाली 62 साल की एक आम महिला थी शाहबानो के पति ने उन्हें 1978 में तीन तलाक दिया तत्पश्चात तीन तलाक से सम्बन्धित मुद्दा सुर्खियों में आया जब शाहबानो ने अपने पति को गुजारेभत्ते की मॉग की तो उनके पति ने स्पष्ट रूप से कह दिया मैं इसका बाध्य नहीं हूँ इसके बाद शाहबानो ने गुजारेभत्ते के मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुँचाया फिर सी.आर.पी.सी. की धारा–125 पर 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजारेभत्ते पर अपना निर्णय प्रस्तुत किया धारा–125 तलाक के मामले में गुजाराभत्ता से सम्बन्धित थी शाहबानो के बढ़ते हुए गुजारेभत्ते के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को जारी रखा परन्तु जब देश में इस पर आपत्तियॉ होने लगी उस समय राजीव गॉधी की सरकार थी जिसने 1986 में एक कानून बनाया उस कानून को 1986 द मुस्लिम बोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट के नाम से जाना गया । इस कानून के मातहत महिलाओं को केवल इद्दत की अवधि में ही गुजाराभत्ता मिलने की स्वीकृति मिली उस समय के गृह राज्यमंत्री आरिफ मौहम्मद खान ने राजीव गॉधी सरकार के इस निर्णय के विरूद्ध इस्तीफा दे दिया था।
2. **शायरा बानो केस (2016)**–उत्तराखण्ड के काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो वह पहली महिला थी जिन्होंने फरवरी 2016 में तीन तलाक, निकाह, हलाला एवं बहु विवाह को बैन करने की सिफारिश की और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक याचिका दायर करायी । शायरा बानो ने अपने पति पर यह आरोप लगाया था कि उनका पति हर तरह की छोटी मोटी बातों पर उनसे

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

झगड़ता रहता था और हर दिन उन्हें मारता पीटता था एक दिन उनके पति ने टेलीग्राम के जरिये उन्हें तलाकनामा भेज दिया जिसके बाद शायरा बानो एक मुफ्ती के पास गयी और पूछा कि टेलीग्राम के द्वारा भेजा गया तलाक मान्य है या नही। इसके अलावा शायरा बानो ने निकाह–हलाला को भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती दी ।

तीन तलाक से सम्बन्धित सबसे पहला मुद्दा 1985 और अब दूसरा सामने आया है। 34 वर्ष में दो ऐसे अवसर आये जिस पर तीन तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उसके बाद संसद तक जा पहुॅचा और हाल ही में इस पर कानून बना दिया गया है । जब 1985 में शाहबानो का मुद्दा सामने आया था जिनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद के द्वारा कानून बनाकर उसे उलट दिया गया था । वही अब संसद में हाल ही में एक ऐसा विधेयक पारित किया जिसमें ट्रिपल तलाक को एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में गिना जायेगा । इस कानून को लोग शायरा बानो जैसी महिलाओं के नाम से याद रखेंगे क्योंकि 40 वर्ष की वह पहली ऐसी महिला थी जिन्होनें ट्रिपल तलाक के अधीन जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आवाज उठाई क्योंकि उनके पति ने उन्हें टेलीग्राम के द्वारा तलाकनामा भेजा था । अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो की सिफारिश पर तीन तलाक पर अपना निर्णय सुनाकर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था ।

तीन तलाक की समस्याएँ

पिछले समय में महिलायें केवल स्वयं को घर के कार्यों में व्यस्त रखती थी व स्वयं आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर रहती है इस प्रकार की स्थिति में अगर उनका पति उन्हें तलाक देता है तो ऐसी दयनीय स्थिति में वह खुद अपने घर की एवं बच्चों की देखभाल और साथ ही साथ इन सभी चीजों के लिए पैसे अर्जित करने में अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है जिसका बुरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है । इसी कारण महिलायें भावात्मक रूप से टूट जाती हैं जिससे इन्हें बिना किसी सहारे के सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । तलाक शब्द महिलाओं के लिए एक तरह का अभिशाप बन गया है जो उनके आने वाले पूरे जीवन को बदल कर एवं नष्ट कर देता है । कभी–कभी महिला का कोई दोष न होते हुए भी उन्हें तलाक की स्थिति से गुजरना पड़ता है ।

भारत से पहले दुनियाभर के अधिकतर 22 देशों में ट्रिपल तलाक पर बैन लगा दिया है । यहॉ तक कि पाकिस्तान जो भारत से अलग होकर स्वयं एक नया देश बनाया उस देश ने भी अपनी स्थापना के 10 वर्षों बाद 1956 में ट्रिपल तलाक पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । दुनिया का पहला ऐसा देश मिस्र है जिसमें सबसे पहले तलाक पर रोक लगायी थी । इसके बाद कतर, ईरान, अलजीरिया, जॉर्डन, अरब जैसे इस्लामिक देशों ने भी तीन तलाक पर पाबन्दी लगा दी थी ।

उद्देश्य– मुस्लिम महिलाओं में तीन तलाक के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

कुरान एवं शरीयत के उपदेश के प्रति महिलाओं एवं पुरूषों का जागरूक होना ।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

शालिनी मिश्रा और वर्टिका जैन (2019)–इस शोध पत्र में शोधकर्ता ने कुरान के प्रसंग में तलाक–उल–बिद्दत की प्रथा के वैश्विक परिदृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । अनुसन्धानकर्ता ने पूर्वगामी विषय का भी विश्लेषण किया है जिसे (शायरा बानो बनाम भारतीय संघ तथा अन्य संघ) जिसमें तीन तलाक के अपराधीकरण को जन्म दिया है ।

कुशवाहा प्रतीक (2018)–यह लेख तलाक–उल –बिद्दत की सबसे आवश्यक यात्रा एवं मुस्लिम परिवार कानून से सापेक्ष मुद्दों से सम्बन्धित है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिला विधेयक 2017 तथा मुस्लिम महिलाओं के मौखिक अधिकार की सुरक्षा के लिये भारत में तीन तलाक की विधि मान्यता पर ध्यान केन्द्रित करना है ।

नासिर कादरी (2018)–इस शोध पत्र में नासिर कादरी ने शाह बानो को उनके पति रिजवान अहमद द्वारा दिए गए तलाक पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ।

इसीटा सूर (2018)–इसीटा सूर ने वर्तमान में प्रचलित विवाह पर अधिकार का संरक्षण विधेयक 2017 जो भारत में मुस्लिम महिला के समक्ष लम्बे समय से एक नए विषय के रूप में सामने प्रस्तुत हो रहा। उस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया इन्होंने बताया कि आवश्यक बात यह है कि विकास के इस दौर में भारत में प्रकट हुई मुस्लिम महिलाओं की सक्रियतावाद ही नहीं तथापि सम्प्रदाय के भीतर जनन सम्बन्धी तर्कशीलता प्रकट हुई है।

समरीन हुसैन (2010)–इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो विश्व के सभी धर्मों में से एक है, और यह हमेशा अस्तित्व में रहा । किन्तु इस्लाम धर्म को कभी उचित प्रकार से समझा नहीं गया । यह स्थायी रूप से गलत ढंग से आगे प्रस्तुत हो रहा है । इसका कारण यहाँ के मतावलंम्बियों की अज्ञानता है । इस अध्ययन में समरीन हुसैन ने ट्रिपल तलाक से सम्बन्धित तर्क प्रस्तुत किया। पैगम्बर ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों के साथ रखने की बात कही है । ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा को समाप्त करने के लिये इस्लामिक व कानूनी दोनों विधियों से परिचित होना चाहिए ।

शोध विधि–प्रस्तुत लेख में अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्णानात्मक शोध किया गया है वर्णात्मक शोध प्रारूप के अन्तर्गत प्रमुख लक्ष्यों और चयनित विषयों की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग कर जैसे इन्टरनेट, शोध पत्रिकाएँ, अखबार आदि को सम्मिलित किया गया है ।

निष्कर्ष–तीन तलाक के बारे में बात करे तो पहले महिलाओं को तीन तलाक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन जबसे यह मुद्दा सामने आया तो लोगों ने तीन तलाक के प्रति कानूनी एवं शरीयत के आधार पर तलाक की उचित प्रक्रिया को जानने का अवसर प्राप्त हुआ । शोध पत्र विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारत में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा एवं इस्लाम में तलाक के नियमों और सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय पर आधारित है ।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तलाक को इस्लामिक तरीके एवं कानूनी शरीयत के आधार पर देना उचित है परन्तु आज की वर्तमान स्थिति में तलाक को मात्र वैवाहिक बन्धन से मुक्ति का पात्र समझा जाता है । तलाक एक उचित अथवा अनुचित दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है लेकिन हम इसे किस तरह उपयोग में ला रहे हैं या इस प्रणाली को अपनाने का नियम सही है या नहीं यह भी स्पष्ट किया गया है । त्वरित तीन तलाक (तलाक–उल–बिद्दत) को हम सही प्रणाली से सुलह समझौते से एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तय कर सकते हैं । हाल ही में तीन तलाक (तलाक–उल–बिद्दत) से सम्बन्धित जो भ्रम पैदा हुआ है उसे समाज के समक्ष स्पष्ट रूप से उचित प्रक्रिया को उजागर करने का प्रयास किया है ।

कुरान के अनुसार, ''विवाह का महत्व समय के साथ निर्बाध होना है, जबकि तलाक (विवाह विच्छेद) एक ऐसा निर्णय है जो शुभ सम्बन्ध को अशुभ बनाता है ।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Mishra, Shalini and Jain, Vertika. (2019) Triple Talaq - Islamisation of Women And Global Perspective, Published by Gazala Parveen in Constitutional law, Family Law, GEneral, Guest port, Weekly Competition-Week 3 December 2019.

Kushwaha Prateek, (2018) "The Journey of Triple, Talaq in India" : Vol.-4, Issue- 2, (2018).

Qadri Nasir (2018) Analysis of Triple Talaq Judgement Passed by Indian Supreme Court, Dec 8, 2018.

Sur, E. (2018) : Triple Talaq Bill in India : Muslim Women as Political Subjects or Victim? Space and Culture India Vol-5, No.-3

Hussain, Samreen, (2010) : Triple Talaq : A Social Legal Alalysis, ILI, Review of Legal, Vol-1, No.-1, Page No.-130.

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies